बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/पी 5–09/2016 अंश पटना, दिनांक /2018

विषय :– आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में "Centre for Geographical Studies" की स्थापना, इसके संचालन हेतु निदेशक एवं समन्वयक् के पदों के सृजन तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थापित किए गए तीन शैक्षणिक केन्द्रों "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" एवं प्रस्तावित "Centre for Geographical Studies" के लिए निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु सर्च कमिटी के गठन एवं निदेशक के वेतन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" के रूप में तीन स्वायत शासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना विभागीय संकल्प संख्या 629 दिनांक 12.04.17 द्वारा की गई है।

2. भूगोल (Geography) विषय की उच्च स्तरीय शिक्षा एवं शोध कार्य हेतु राज्य में एक उत्कृष्ट स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिपथ में रखते हुए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में ही उपरोक्त तीन स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्रों के अतिरिक्त "Centre for Geographical Studies" के रूप मे एक अतिरिक्त उत्कृष्ट स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना तथा इसके संचालन हेतु तत्काल निदेशक एवं समन्वयक के पद सृजन तथा इन पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह शैक्षणिक केन्द्र पूर्व में स्थापित तीन शैक्षणिक केन्द्रों के लिए निर्मित हो रहे भवन से तत्काल संचालित होगा।

3. विभागीय संकल्प संख्या 629 दिनांक 12.04.2017 द्वारा पूर्व में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में स्थापित 03 शैक्षणिक केन्द्रों के निमित निदेशक की नियुक्ति हेतु गठित होने वाले सर्च कमिटि में शिक्षा विभाग एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः उक्त तीनों उत्कृष्ट स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्रों के साथ–साथ "Centre for Geographical Studies" के लिए निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित होने वाले सर्च कमिटी को निम्न् रूपेण संशोधित किया जाता है।

(क). विकास आयुक्त, बिहार	:–	अध्यक्ष
(ख). प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	:–	सदस्य
(ग). प्रत्येक शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक हेतु राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञ	:–	सदस्य
(घ). प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार	:–	संयोजक सदस्य

4. निदेशक एवं समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु पद का सृजन निम्न वेतनमान में किया जाता है :–

(क)	निदेशक	:–	अपुनरीक्षित वेतनमान 75000/– नियत एवं इस पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ते
(ख)	समन्वयक्	:–	अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0 –3 + 5400/– ग्रेडपे0

D:\sanlekh\sanlekh 2017-18\AKU sanlekh 2017-18.docx

उपर्युक्त वेतन में सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में निदेशक पद पर सुयोग्य उम्मीदवार के चयन हेतु वेतन नेगोसिएबल (negotiable) होगा एवं प्रस्तावित वेतनमान से अधिक वेतन भी दिया जा सकेगा। पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 629 दिनांक 12.04.2017 द्वारा स्थापित तीन शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक को भी उपर वर्णित निदेशक का वेतनमान ही अनुमान्य होगा।

5. चारों स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा इनकी परीक्षा संचालित की जाएगी।

6. इन शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक के पद पर सर्च कमिटी द्वारा अनुशंसित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। सर्च कमिटी में लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञों को शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जाएगा। उपरोक्त चारो शैक्षणिक केन्द्रों के लिए समन्वयकों की नियुक्ति आर्यभटट् ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा कंडिका 04 में वर्णित वेतनमान में विहित प्रक्रिया अपनाकर की जायेगी।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या 15/पी 5–09/2016 अंश पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या 15/पी 5–09/2016 अंश-193 पटना, दिनांक 09/2/18

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

D:\sanlekh\sanlekh 2017-18\AKU sanlekh 2017-18.docx